

प्रकरण संख्या 4/2018 (मु.) धुलेश्वर बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2023	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तरगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम 1984 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1669 रकबा 0.24 हैक्टर ग्राम अमरथुन, तहसील घाटोल में स्थित है, जिसका प्रार्थीगण करीब 50 वर्षों से उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की अन्य भूमि से एडजोईनिंग है। प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है, न ही अप्रार्थीगण का आधिपत्य है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पटवारी व राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 04.12.2004 को अपने नाम करवा लिया है। उक्त भूमि आज तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है तथा अवैध रूप से इन्द्राज होने के आधार पर आज तक खातेदारी प्राप्त नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से माही विस्थापित का सदस्य नहीं है और उक्त नियमों के तहत केवल माही विस्थापित का सदस्य ही भूमि आवंटन का पात्र है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन बिना अधिकार के होकर निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ग्राम अमरथुन की आराजी नंबर 1669 रकबा 0.24 हैक्टर का किया गया आवंटन दिनांक 04.12.2004 निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीगण के नाम भूमि को नियम करने का आदेश फरमाया जावे।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्तरगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पेश की गयी है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की उनकी ओर से वकील श्री ए.बहाव उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय</p>	



प्रकरण संख्या 4/2018 (मु.) धुलेश्वर बनाम लक्ष्मण

की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व उनके अभिभाषक द्वारा निर्णय की जानकारी कई बार चाहे जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी। निर्णय की जानकारी दिनांक 04.09.2018 को होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने देरी का जो कारण दर्शाया है, वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अतः अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2016 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 201 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर प्रस्तुत की गयी है, उसमें 2344 दिनों का विलम्ब हुआ है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में इतना अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का उचित विवेचन किये बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया है। प्रकरण रेस्पोंडेन्ट की तामिल एवं जवाब हेतु नियत था, परन्तु बिना जवाब लिये राजस्व कैम्प में अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा आराजी नंबर 1669 रकबा 0.24 हैक्टर का नियमन अपीलान्टगण के नाम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने

प्रकरण संख्या 4/2018 (मु.) धुलेश्वर बनाम लक्ष्मण

से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि “वाद में कोई भी बिन्दु ऐसा नहीं है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं में वर्णित किया जाकर प्रकरण को सुना जा सके।” अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन उचित नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत था ही नहीं, प्रकरण तो धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1984 के तहत था, जिसे किसी भी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं माना जा सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1984 के तहत पक्षकारों को सुनकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर